

24/5/19

12

पत्रावली खींगट से हलब बोक र पेरा डई। माखीगण कीओर
से अधिकाणी जी प्रहलाद कुमार सार्नि ने प्रावनी पत्र
प्रस्तुत कर प्रकरण आवप्रक प्रकृति का बोक र वरिभात
समय में पट्टरगनी कराने का समय बने से डकमतामा
अदेशा जासी कजे हेर ठिकेन किया गया। प्रियस्तीगण
के समकग गोटिस समीप बोक र सेलुका पत्रावली है।
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माखीगण ने
एक प्रावनी पत्र अन्तरी धारा 128 एका धारु एक्ट
के अस्त इस समय का प्रस्तुत किया कि गौजा

छाजकी पत्रावर मण्डल डेलवस की आरजी नम्बर
 153/14 रकबा 0.4300 हे व आरजी नम्बर 153/2
 रकबा 1.0800 हे अग्नि प्रायोगिक की खादिया की है।
 रवा रजख अधिलेख में हकी रेकार्ड है। जिसके कोर्ट
 सीमा भिन्ट रखायी नये देने से प्रायोगिक एवं
 विपक्षी के मध्य आरजी सीमा को लेकर विवाद भाये
 दिन होता है इसलिए उपरोक्त आरजी की पत्रागर्ष
 करई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रजख अधिलेख का अवलोकन
 किया गया बहस सुनी गई प्रायोगिक वरख आरजीगर्ष
 का खादियर है इन्हे नपस करणे का अधिकार निधीत है।
 अतः रजखिलदार इंगला को 9000/- ~~रु~~ एदार रूपे
 फिस पर कमीस्तर नियुक्त किया जाकर आदेशित
 किया जाता है कि मुकदमा पश्कारत की उपरिखाति में
 बदीबस्ती नबशा के अनुसार बिनाक्रिसी के कब्जे में रखल
 दिये मौजा छाजकी की आरजी नम्बर 153/14 रकबा 0.4300
 एवं आरजी नम्बर 153/2 रकबा 1.0800 हे अग्नि की पत्रागर्ष
 तुक्कमल होर पर करई जावे। पत्रागर्षी जालना रिपोर्ट
 भायालय में दिनांक 29/6/19 को पेशये। इसी आशयका
 हुक्मतमा आदेश जारी हो। पत्रावली ईबजार पालन
 रिपोर्ट में दिनांक 29/6/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 इंगला